

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महासमुन्द (छ.ग.)

फोन नं.-07723-223305, फैक्स नं.-07723-223302, Email Id-msamund.cg@nic.in

// आदेश //

क्रमांक / 353 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020

महासमुन्द, दिनांक 04 / 05 / 2020

WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक / 206 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 22.03.2020, आदेश क्रमांक / 208 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020, आदेश क्रमांक / 231 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 30.03.2020, आदेश क्रमांक / 238 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020, आदेश क्रमांक / 259 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020, आदेश क्रमांक / 272 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 14.04.2020, आदेश क्रमांक / 295 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020, आदेश क्रमांक / 313 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 24.04.2020 एवं आदेश क्रमांक / 346 / क / एस.डब्ल्यू. / 2020 महासमुन्द दिनांक 03.05.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए हैं।

02 / इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेशों के तहत जिला महासमुन्द के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 17.05.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया है।

03 / इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त तीनों आदेशों की कंडिका "स" में वर्णित कार्यालय / प्रतिष्ठान / सेवाओं को पूर्णतया बालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश क्रमांक 40-3 / 2020-DM-I(A) दिनांक 15.04.2020, 16.04.2020, 01.05.2020 के परिपालन में महासमुन्द जिले के ग्रीन जोन में होने के फलस्वरूप कंडिका "स" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय / प्रतिष्ठान / वस्तुओं / सेवाओं को भी शर्तों के अधीन (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है :-

स- 26. निम्न वस्तुओं / सेवाओं से संबंधित गतिविधियां :-

44. इस कंडिका में छड़, सीमेंट की दुकान के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है :-

"छड़, सीमेंट की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (रविवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी होम डिलिवरी कर सकेंगे।"

45. इस कंडिका में पंखा, कूलर की दुकान के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है :-

"पंखा, कूलर, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रिशियन, फ्लैक्स की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं शनिवार) को खुली रहेंगी। शेष दिवस व्यापारी पंखा, कूलर की होम डिलिवरी कर सकेंगे।"

46. इस कंडिका में स्टेशनरी एवं किताब की दुकान के साथ निम्न को भी जोड़ा जाता है :-

"स्टेशनरी एवं किताब की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (रविवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।"



47. कपड़ा, सराफा एवं बर्तन की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस (सोमवार एवं बुधवार) को खुली रहेंगी।
48. वेल्डिंग, वर्कशॉप, लेथ, फोटोकॉपियर, फोटो स्टूडियो, पैकिंग सामग्री की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (सोमवार एवं बुधवार) को खुली रहेंगी।
49. ऑटोमोबाईल, ऑटो पार्ट्स, सायकल एवं रिपेयर की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (रविवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।
50. हार्डवेयर, मोबाईल शॉप, फर्नीचर एवं पूजा सामान की दुकानें, सप्ताह में 02 दिवस (मंगलवार एवं शनिवार) को खुली रहेंगी।
51. फैंसी स्टोर्स, चश्में की दुकान एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें सप्ताह में 02 दिवस (रविवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी।
52. नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र में स्थित होटल सप्ताह में 02 दिवस (रविवार एवं गुरुवार) को खुली रहेंगी, किन्तु संचालक ग्राहक को बैठाकर नहीं खिला सकेंगे, केवल पैकड फूड ही उपलब्ध करायेंगे।

उपरोक्त सभी दुकानें/सेवाएं, राशन दुकानों सहित सुबह 09.00 बजे से लेकर दोपहर 02.00 बजे तक ही खुलेंगी।

सभी मेडिकल स्टोर्स की दुकानें सुबह 09.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुलेंगी। आवश्यकता पड़ने पर दवाई की होम डिलिवरी की जा सकेगी।

04/ उक्त कंडिका "स" के अंतर्गत पूर्व के आदेशों एवं इस आदेश के तहत लॉकडाउन से छूट प्रदान किये गए कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं के प्रमुखों की यह जिम्मेदारी होगी, कि लॉकडाउन उपायों में सामाजिक दूरी (सोशल डिस्टेंसिंग), स्वच्छता एवं इस संबंध में भारत सरकार, राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा दिये जा रहे निर्देशों का अनिवार्य रूप से अक्षरशः पालन सुनिश्चित करेंगे।

05/ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश

- क्रमांक 208/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 24.03.2020
 - क्रमांक 238/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 31.03.2020
 - क्रमांक 259/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 09.04.2020
 - क्रमांक 295/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 21.04.2020
 - क्रमांक 313/क/एस.डब्ल्यू./2020 महासमुन्द दिनांक 24.04.2020
- के अनुक्रम (Continuation) में इस आदेश को जारी किया जा रहा है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।



64.05.20
कलेक्टर
जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुन्द (छ.ग.)

प्रतिलिपि :-

01. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित।
02. सचिव, छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सादर सूचनार्थ।
03. सचिव, छ.ग. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
04. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ।
05. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुंद को सूचनार्थ।
06. पुलिस अधीक्षक महासमुंद को सूचनार्थ।
07. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
08. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
09. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर पंचायत, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. सर्व विभाग प्रमुख, जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. सर्व संबंधित व्यापारी संघ को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. सहायक संचालक, जनसंपर्क महासमुंद को समाचार-पत्र में प्रकाशनार्थ।



44.05.
कलेक्टर
जिला दण्डाधिकारी
एवं जिला दण्डाधिकारी
महासमुंद (छ.ग.)